

COLLECTED BY HAND FROM OFFICE
OF SUB-REGISTRAR - NMDA SECTOR-3

FOR GENERAL INFORMATION OF
ALLOTTEE FOR REGISTRATION PURPOSE

सामान्य निर्देश :-

1. ऐसे बहुमंजिले आवासीय भवन/अपार्टमेंट जिनके परिसर में बलब, स्वीडिंग पुल, जिमनैजियम एवं क्रैच आदि विशिष्ट सुविधाओं में से कोई दो सुविधा उपलब्ध हो उनमें स्थित फ्लैटों का मूल्य उपर्युक्त निर्धारित दर से आगणित मूल्य से 25% अधिक होगा।
2. फ्लैटों का मूल्य निर्धारण केवल उनके सुपर एरिया के आधार पर किया जायेगा सुपर एरिया में कामन एरिया व कवर्ड एरिया सम्मिलित होगा।
3. उपर्युक्त दर भूतल, प्रथम तल व ~~द्वितीय~~ (SECOND FLOOR) तल पर स्थित फ्लैट हेतु निर्धारित है तथा तृतीय तल व उससे ऊपर निर्मित प्रत्येक तल के लिए फ्लैट का मूल्यांकन 5 प्रतिशत प्रति तल कम करके आगणित किया जायेगा, जो कि अधिकतम 20 प्रतिशत तक कम हो सकेगा।
4. सिंगल यूनिट/डुप्लेक्स फ्लैट का मूल्यांकन तत्सम्बन्धी सेक्टर के लिये भूमि की दर एवं निर्माण की दर के आधार पर किया जायेगा।
5. दो मंजिला फ्लैटों का मूल्यांकन तत्सम्बन्धी सेक्टर के लिये भूमि की दर का 50% एवं निर्माण की दर को जोड़ कर किया जायेगा।
6. फ्लैट के साथ ओपन कार पार्किंग सुविधा भी देने पर मूल्यांकन एक लाख बढ़ाकर किया जायेगा।
7. फ्लैट के साथ कवर्ड कार पार्किंग/गैराज की सुविधा वाले फ्लैट का मूल्यांकन 2 लाख रु0 बढ़ाकर किया जायेगा।
8. फ्लैट के साथ ओपन कार पार्किंग के साथ कवर्ड कार पार्किंग/गैराज वाले फ्लैट्स का मूल्यांकन 3 लाख रु0 बढ़ाकर किया जायेगा।

dkar
31/7/10
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन-प्रथम
गौतमबुद्ध नगर

आगर जिलाधिकारी (20/210)
गौतमबुद्ध नगर

(Signature)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्ध नगर

NOTE → (1) circle for KV-2, Sector-82, NMDA
Rs 25000/- Per Square Meter on Super Built-up Area of FLAT (SBA)

Cost of Stamp Duties may be calculated Based on above सामान्य निर्देश।

(2) STAMP DUTY — 5% on the cost of Flat (SBA)

(3) STAMP DUTY — 5% on the cost still (Car/scooter)